

यूको बैंक UCO BANK

असाधारण आम बैठक हेतु नोटिस शुक्रवार, 7 मई, 2021 पूर्वाह्न 11.00 बजे

NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Friday, 7th May, 2021 11.00 A.M.

> प्रधान कार्यालय: 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001 Head Office: 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

वेबसाइट / Website: www.ucobank.com



यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालयः 10, बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता-700001

सूचना

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) शुक्रवार, 7 मई, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से विडियो कॉन्फ्रेंस /अन्य श्रव्य दृश्य माध्यम (वीसी/ओवीएएम) से निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगीः

कार्यसूची मद संख्या 1:

भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयर निर्गत करना।

निम्नांकित संकल्प पर विचार करना और यदि उसे ठीक माना जाता है तो उसे एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः

"यह संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2003 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार(जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), और/या इस बारे में अन्य कोई प्राधिकरण जिसकी आवश्यकता हो, के अनुमोदनों, अनुमतियों और मंजूरियों, यदि कोई हों, के अधीन तथा ऐसे नियमों, शर्तों एवं संशोधनों के अधीन जो कि उनके द्वारा ऐसे अनुमोदनों को मंजूरी देते समय निर्दिष्ट किए जाएँ, जिन पर बैंक के निदेशक मंडल की सहमित हो तथा जो सेबी (पूँजी निर्गमन एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2018 (सेबी आईसीडीआर विनियम) और भारतीय रिज़र्व बैंक एवं सभी अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर विहित विनियमों के अधीन, बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीकृत करनेवाले स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण समझौतों के अधीन, भारत सरकार को अधिमानी आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन 2018 के विनियम 164(1) के अनुसरण में निर्धारित कुल रु. 2600 करोड़ (रुपये दो हजार छह सौ करोड़ मात्र) के प्रतिशेयर रु. 2.76 (रुपया दो और पैसे छिहत्तर मात्र) के प्रीमियम सिहत, प्रति ईक्विटी शेयर रु.12.76 (रुपया बारह और पैसे छिहत्तर नाख सत्रह हजार पाँच सौ चौवन मात्र) ईक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमित बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद 'मंडल' कहा जाएगा) को इसके माध्यम से दी जाती है।"

''यह भी संकल्प किया जाता है कि उक्त निर्गम अधिमानिता के लिए संबंधित तारीख 7 अप्रैल, 2021 होगी।**''**

"यह भी संकल्प किया जाता है कि प्रस्ताव में ऐसे किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्तियाँ निदेशक मंडल में निहित होंगी जिसे भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जिनमें बैंक के शेयर सूचीकृत हैं, या अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अपने निर्गमन, आबंटन एवं उनके सूचीकरण हेतु अपने अनुमोदन, सम्मति, अनुमति एवं संस्वीकृति देते/प्रदान करते समय आवश्यक समझा जाए या अधिरोपित किया जाए और जिसमें निदेशक मंडल की सहमति हो।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गमित होनेवाले उक्त ईक्विटी शेयर, बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों की समतुल्य श्रेणी के होंगे और लाभांश घोषित करने के समय यदि हो तो लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित लाभांश के हकदार होंगे।"

"यह भी संकल्प िकया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके द्वारा निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को क्रियान्वित करे जिन्हें वह अपने विवेक के अनुसार आवश्यक, उपयुक्त एवं वांछनीय समझे, ईिक्वटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, किठनाई या शंका का निपटारा करे और ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप दे और कार्यान्वित करे, जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो, उसके विवेकानुसार उपयुक्त, उचित या वांछनीय प्रतीत हो, जिसके लिए शेयरधारकों की सम्मित या अनुमोदन प्राप्त करने की आगे कोई भी आवश्यकता न पड़े, अथवा इस उद्देश्य या प्रयोजन से प्राधिकृत किया जाता है कि शेयरधारकों द्वारा इस संकल्प के प्राधिकार से, व्यक्त रूप से इस पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया जाना मान लिया गया है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल द्वारा स्वयं को प्रदत्त सभी या किन्ही शक्तियों को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक अथवा ऐसे किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है जिसे वह उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त मानता है।"



यूको बैंक

UCO BANK

Head Office: 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of UCO Bank will be held on Friday, the 7th May, 2021 at 11.00 A.M. through Video Conference/Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the following business:

Agenda Item no. 1:

Issue of equity shares to Government of India on preferential basis.

To consider and if thought fit pass the following resolution as a special resolution(s):

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board") to create, offer, issue and allot 203,76,17,554 (Two hundred three crore seventy six lakh seventeen thousand five hundred fifty four) equity shares of face value of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at an issue price of Rs. 12.76 (Rupees Twelve and Paise Seventy Six) per share determined in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2018 aggregating to Rs. 2600 crore (Rupees Two Thousand Six hundred crore only) on preferential basis to Govt. of India."

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for the aforesaid preferential issue is 7th April, 2021."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer or any of the Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."



EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2021

कार्यसूची मद संख्या 2:

शेयर प्रीमियम के माध्यम से दिनांक 31.03.2020 को बैंक की संचयी हानि का विनियोजनः

निम्नांकित संकल्प पर विचार करना और और यदि उसे ठीक माना जाता है तो उसे एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः

"यह संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) की धारा 3(2बीबीए), यथासंशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970; बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949; (बीआर अधिनियम) की धारा 17(2) जिसमें कोई सांविधिक संशोधन या उसका पुनिर्धिनयम शामिल है और जो भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और इस संबंध में आवश्यक समझे गए किन्हीं अन्य पदाधिकारियों के अनुमोदन, सहमित, अनुमित और मंजूरियों, यदि कोई हो, के अधीन है, के अनुसरण में एतारा बैंक के शेयरधारकों की सहमित प्रदान की जाती है कि विनियोजन के दिनांक को बैंक के विशेष आरक्षित खाते से एवं "शेयर प्रीमियम खाते" को जमा धारित शेष का इस्तेमाल कर 31.03.2020 को रु. 12537,39,74,781.74 (बारह हजार पाँच सौ सैंतीस करोड़ उनतालीस लाख चौहत्तर हजार सात सौ इक्यासी और पैसे चौहत्तर मात्र) की संचयी हानियों के विनियोजन हेतु राशि उपयोग की जाए तथा इसे चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ध्यान में लिया जाए"।

"यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उक्त प्रस्ताव के लिए निदेशक मंडल या निदेशक मंडल की किसी समिति को एतदद्वारा प्रस्ताव के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक या वांछित माने गए ऐसे सभी कृत्य, कर्म, मामले और कार्य करने और इस संदर्भ में उत्पन्न हो सकने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु इसके संपूर्ण विवेकाधिकार में प्राधिकृत किया गया है"।

निदेशक मंडल के आदेश से हस्ता/-

(ए. के. गोयल)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता दिनांकः 08-04-2021



EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2021

Agenda Item no. 2

Appropriation of accumulated losses of the Bank as on 31.03.2020 towards Share Premium.

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 3(2BBA) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), Section 17(2) of The Banking Regulation Act, 1949 (BR Act), Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 as amended vide the Department of Financial Services Gazette notification no. CG-DL-E-23032020-218862 (S.O. 1201 E) dated 23.03.2020 referred to as Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2020, including any statutory amendments or re-enactments thereof and subject to the approvals of Reserve Bank of India, Government of India and such other authorities as may be necessary in this regard, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to set off the Bank's accumulated losses of Rs.12537,39,74,781.74 (Twelve thousand five hundred thirty seven crore thirty nine lakh seventy four thousand Seven hundred eighty one and paise seventy four only) as at 31.03.2020 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account of Bank as on the date of set off and take the same into account during current Financial Year 2021-22.

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may at its absolute discretion deem necessary or desirable for effectively implementing the resolution and to settle any questions, difficulties or doubts that may arise in this regard as it may in its absolute discretion deem fit."

By Order of the Board Directors

sd/-

Place : Kolkata Date : 08-04- 2021

(A. K. Goel)
Managing Director & CEO



व्याख्यात्मक विवरण

कार्यसूची मद संख्या 1 - अधिमानी आधार पर भारत सरकार को ईक्विटी शेयर निर्गत करना

सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2018 के अनुसार आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटन निम्नानुसार है:

क) अधिमानी निर्गम के उद्देश्य

बैंक बैंककारी तथा संबंधित कार्य करता है। अभी बैंक की प्राधिकृत पूँजी रू. 15,000 करोड़ है। बैंक की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी रू. 9,918.34 करोड़ है। भारत सरकार के पास रू. 9,367.29 करोड़ की होल्डिंग है जो बैंक की सकल प्रदत्त पूंजी का 94.44% है।

बासेल III के अनुसार 31 दिसम्बर, 2020 को जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात में पूंजी निधि इस प्रकार थी:

विवरण	राशि (रु.) करोड़ में	जोखिम भारित आस्तियों पर पूँजी निधि का %
जोखिम भारित आस्तियाँ	102276.44	-
टियर । पूँजी	9211.30	9.01
टियर ॥ पूँजी	3141.24	3.07
कुल पूँजी	12352.54	12.08

बैंक की टीयर -। पूँजी को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या एफ संख्या 7/23/2019 - बीओए - I दिनांक 17.03.2021 के माध्यम से बैंक की ईक्विटी पूँजी में अधिमानी आबंटन के जिए रु. 2,600 करोड़ की पूँजी लगाने की संस्वीकृति से अवगत कराया तथा बैंक ने यह पूँजी अंशदान 31.03.2021 को प्राप्त कर लिया है।

निदेशक मंडल ने 07.04.2021 को अधिमानी आबंटन के माध्यम से सरकार को ईक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इस अनुमोदन की प्रतीक्षा है। प्रस्तावित अधिमानी निर्गम सभी विनियामक अनुमोदनों के प्राप्त हो जाने के बाद आबंटित किए जाएँगे।

इस प्रकार उत्थापित पूँजी का उपयोग बैंक के सामान्य ईक्विटी एवं टीयर-। पूँजी बढ़ाने में किया जाएगा।

- ख) यह संपूर्ण निर्गम भारत सरकार द्वारा जो बैंक का प्रवर्तक है, सब्सक्राइब किया जाएगा।
- ग) निर्गम मूल्य आज तक यथा संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित होगा/हुआ है। निर्गम मूल्य निश्चित करने की तय तारीख 7 अप्रैल, 2021 को ध्यान में रखते हुए निर्गम मूल्य रह 12.76 प्रति ईक्विटी शेयर निर्धारित किया गया है।
- घ) बैंक अधिमानिता निर्गम के तहत भारत सरकार को रु. 12.76 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य के 203,76,17,554 ईक्विटी शेयर आबंटित करने का प्रस्ताव करता है। आबंटन के लिए किसी विनियामक प्राधिकार का या भारत सरकार का अनुमोदन यदि लंबित न रहे तो विशेष संकल्प के बाद ऐसे संकल्प के पारित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर आबंटन पूरा कर लिया जाएगा। वैसी दशा में 15 दिनों की अवधि की गणना ऐसे अनुमोदन के प्राप्त होने की तारीख से की जाएगी।



EXPLANATORY STATEMENT

Agenda Item no. 1 - Issue of equity shares to Government of India on preferential basis.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of SEBI ICDR Regulations 2018 are as follows:

a) Objects of the Preferential Issue

The Bank is in the business of the banking and related activities. Presently, the Authorized Capital of the Bank is Rs.15,000 crore. The Paid-up Equity Share Capital of the Bank is Rs. 9918.34 Crore with Government of India holding Rs. 9367.29 Crore constituting 94.44% of the total paid-up equity capital of the Bank.

As of 31st December, 2020 the Capital Fund to Risk Weighted Assets under Basel-III was as under

Particulars	Amount (Rs.in Crore)	% of capital funds to risk weighted asset
Risk Weighted Assets	102276.44	-
Tier-I Capital	9211.30	9.01
Tier-II Capital	3141.24	3.07
Total Capital	12352.54	12.08

In order to strengthen Tier - I Capital of the Bank, Government of India vide their letter F. No. 7/23/2019 - BOA-I dated 17.03.2021 communicated its sanction to infuse capital to the extent of Rs. 2,600 crore in the equity capital of the Bank by way of Preferential Allotment of equity shares and the capital contribution was received by the Bank on 31.03.2021.

The Board of Directors has approved the proposed issue of equity shares to Government through preferential allotment on 07.04.2021. Shares under the proposed the preferential issue will be allotted subsequent receipt of all the regulatory approvals.

The capital raised would be utilized for the purpose of shoring up of the Common Equity and Tier - I Capital of the Bank.

- b) The entire issue will be subscribed by the Government of India Promoter of the Bank.
- c) The Issue Price shall be/has been determined in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2018 as amended up to date. The issue price so determined is Rs.12.76 per equity share considering that the relevant date for ascertaining the Issue Price is 7th April, 2021
- d) Bank proposes to allot 203,76,17,554 equity shares at an issue price of Rs.12.76 per share to Government of India under the preferential issue. Allotment pursuant to the Special Resolution shall be completed within a period of 15 days from the date of passing of such resolution, provided that any approval or permission by an regulatory authority or Central Government approval for allotment is pending, the period of 15 days shall be counted from the date of such approval.



ङ) निर्गम के पूर्व और पश्चात शेयरधारिता पैटर्न:

क्र. सं.	श्रेणी	निर्गम से पूर्व		निर्गम के बाद	
		धारित शेयरों की सं.	शेयर धारिता का प्रतिशत	धारित शेयरों की सं.	शेयर धारिता का प्रतिशत
क.	प्रवर्तक की धारिता				
	(भारत सरकार)	9367292970	94.44	11404910524	95.39
ख.	गैर-प्रवर्तक धारिता	551047652	5.56	551047652	4.61
ग.	कुल	9918340622	100.00	11955958176	100.00

- च) भारत सरकार बैंक का अंतिम लाभकारी मालिक है अतः मूल व्यक्ति की पहचान नहीं बताई जा सकती।
- छ) चूँकि यह संपूर्ण निर्गम भारत सरकार को किया जाना है जो बैंक का प्रमुख शेयरधारक एवं प्रवर्तक है, निर्गम के बाद नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- झ) भारत सरकार को निर्गमित एवं आबंटित सभी शेयर, ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित रहेंगे।
- ज) भारत सरकार द्वारा की गई समग्र पूर्व-अधिमानित अवधारिता, संगत तारीख से प्रारंभ करके, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा मंजूर वाणिज्यिक ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से छह माह तक की अवधि के लिए आरक्षित रहेगी।
- ञ) सांविधिक लेखापरीक्षक (कों) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जिससे प्रमाणित होता हो कि इस निर्गम को सेबी आईसीडीआर विनियमन की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा रहा है जिसे असाधारण आम बैठक के पटल पर रखा जाएगा।
- ट) भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अमूर्त रूप में हैं और जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, उनके साथ किए गए सूचीबद्धता समझौते के निर्धारण के अनुसार ईक्विटी शेयरों की निरंतर सूचीबद्धता की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है।
- व) भारत सरकार ने प्रासंगिक तारीख से पहले के छह माह के दौरान बैंक का कोई भी ईक्विटी शेयर नहीं बेचा है।
- ड) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 एवं सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के विनियम 160 के अनुसरण में, अधिमानी आधार पर शेयर निर्गम एवं आबंटन के बरक्स बैंक के सभी शेयरधारकों को शेयरों की पेशकश करने के विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।
- ढ) जहाँ भी अपेक्षित हो, बैंक सेबी आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों के अनुरूप ईक्विटी शेयरों के मूल्य की पुनर्गणना का वचन देता है।
- ण) बैंक वचन देता है कि यदि इस विनियमन में निर्धारित समयाविध के भीतर मूल्य की पुनर्गणना के कारण देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ उस समय तक अवरुद्ध रहेंगी जब तक आबंटिती द्वारा ऐसी राशि का भुगतान न कर दिया जाए।
- त) बैंक और इसके निदेशकगण इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं हैं।



e) Shareholding Pattern before and after the Issue

Sl. No.	Category	Before th	ne Issue	After the issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
A.	Promoter's Holding				
	(Government of India)	9367292970	94.44	11404910524	95.39
B.	Non -Promoter Holding	551047652	5.56	551047652	4.61
C.	Total	9918340622	100.00	11955958176	100.00

- f) The ultimate beneficial owner of the Bank is Government of India and hence identity of natural person cannot be provided.
- g) As the entire issue is to be made to Government of India ("GOI"), the major shareholder and promoter of the Bank, there would not be any change in control subsequent to the issue.
- h) All the shares issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval.
- i) The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval as granted by the stock exchanges.
- j) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of SEBI ICDR Regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.
- k) All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- 1) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- m) In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Regulation 160 of the SEBI ICDR Regulations 2018, approval of the shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution to issue and allot shares on preferential basis vis-a-vis offering shares to all the shareholders of the Bank.
- n) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.
- o) The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.
- p) The Bank or its directors are not declared as willful defaulters.



- थ) बैंक के किसी भी निदेशक को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित नहीं किया गया है।
- द) आपके निदेशकगण सूचना में यथानिर्दिष्ट विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं।
- ध) बैंक के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी और उनके संबंधीगण में से कोई इस संकल्प से संबंधित और रुचि रखनेवाले नहीं हैं।

कार्यसूची मद सं. 2 - शेयर प्रीमियम के माध्यम से दिनांक 31.03.2020 को बैंक की संचयी हानि का विनियोजन

- (i) दिनांक 31.03.2020 को बैंक की रु. 12537,39,74,781.74 (बारह हजार पाँच सौ सैंतीस करोड़ उनतालीस लाख चौहत्तर हजार सात सौ इक्यासी और पैसे चौहत्तर मात्र) संचयी हानियों के विनियोजन के उद्देश्य से बैंक के शेयर प्रीमियम तथा राजस्व आरक्षित खाते के जमा में बकाया राशि के उपयोग का बैंक प्रस्ताव करता है, तदनुसार विनियोजन की तारीख तथा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इसे खाते में लिया जाता है।
- (ii) उक्त प्रस्तावित शेयर प्रीमियम कमी, यदि अनुमोदित होती है और उसे अंतिम रूप दिया जाता है, का प्रभाव तदनुसार कम किया जाएगा जो वह संचयी हानि होगी जो 31.03.2020 को रु. 12537,39,74,781.74 करोड़ रही।
- (iii) बैंक का यह विचार है कि यह वर्तमान परिदृश्य में बैंक के लिए सबसे व्यावहारिक और आर्थिक रूप से कुशल विकल्प है तािक बैंक की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत किया जा सके।
- (iv) बैंक अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करने में सक्षम होगा जो शेयरधारकों के लिए लाभकारी होगा क्योंकि उनकी धारिताएं बेहतर मूल्य अर्जित करेंगी और साथ ही बैंक को उसके शेयरधारकों के लाभ हेतु और अधिक अवसरों को प्राप्ति में भी सक्षम बनाएगा जो एक व्यवहार्य समय-सीमा के भीतर लागू प्रावधानों के अनुसार लाभांश भुगतान के रूप में शामिल होगा। यह प्रस्ताव बैंक को एक समयबद्ध तरीके से अपनी टर्न अराउंड योजनाओं को प्राप्त करने हेत् बेहतर स्थिति में लाएगा।
- (v) बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार कोई प्रदत्त पूंजी जो गुम हो गई है या उपलब्ध आस्तियों द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकती है, के निरस्तीकरण द्वारा इसकी प्रदत्त पूंजी को कम करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एव विविध प्रावधान) योजना, 1970 को संशोधित कर राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) संशोधित योजना, 2020 इसे बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसरण में प्रदत्त पूंजी को कम करने के लिए इसी पद्धित को लागू करने के माध्यम से शेयर प्रीमियम खाते से किसी राशि संगत करने की अनुमित देता है।
- (vi) चूंकि संचयी हानियों के विनियोजन के उद्देश्य हेतु बैंक के शेयर प्रीमियम खाते का प्रस्तावित उपयोग एक पूंजी कमी माना जाना है, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बीबीए) के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से मांगा जा रहा है जो शेयरधारकों के अनुमोदन के साथ एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से बैंक की प्रदत्त पूंजी की कमी को अनुमित देता है।
- (vii) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(2) के अनुसार जब बैंक शेयर प्रीमियम खाते से किसी राशि या राशियों का विनियोजन करता है तो यह ऐसे विनियोजन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर होगा और ऐसे विनियोजन से संबंधित परिस्थितियों को विस्तार से बताते हुए तथ्य की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को की जाएगी। बैंक विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर इस आवश्यकता का अनुपालन करेगा। इस संबंध में बैंक द्वारा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
- (viii)शेयर प्रीमियम खाते की कमी जिसमें शेयर प्रीमियम खाते के जमा हेतु बकाया राशि की कमी द्वारा लाभ व हानि खाते में नामे शेष का विनियोजन शामिल है, अपने शेयरधारकों के प्रति बैंक द्वारा किसी प्रतिफल के उन्मोचन का पात्र नहीं होती। तदनुसार बैंक की



- q) None of the Directors of the Bank have been declared as a fugitive economic offender.
- r) Your directors recommend passing of the Special Resolution as set out in the Notice.
- s) None of the Directors of the Bank, the key managerial personal or their relatives are concerned or interested in the resolution.

Agenda Item no. 2 - Appropriation of accumulated losses of the Bank as on 31.03.2020 towards Share Premium.

- (i) The Bank proposes to set off the accumulated losses of Rs.125373974781.74 (Rupees Twelve thousand five hundred thirty seven crore thirty nine lakh seventy four thousand seven hundred eighty one and paisa seventy four only) as at 31.03.2020 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account of Bank as on the date of set off and the share premium account will accordingly stand reduced during the current financial year 2021-22.
- (ii) The effect of the aforesaid proposed Share Premium Reduction, if approved and finalised, would be that the accumulated losses, which as on 31.03.2020 stood at Rs.125373974781.74, will accordingly be set off.
- (iii) The Bank is of the view that this is the most practical and economically efficient option available to the Bank in the present scenario so as to present a true and fair view of the financial position of the Bank.
- (iv) The Bank will be able to represent its true financial position which would benefit shareholders as their holding will yield better value and also enable the Bank to explore opportunities to the benefit of the shareholders of the Bank including in the form of dividend payment as per the applicable provisions within a reasonable timeframe. The proposal will also put the Bank in a better position to achieve its Turnaround Plans in a time-bound manner.
- (v) The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 provides for reducing its paid-up capital by cancelling any paid-up capital which is lost, or is unrepresented by available assets and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 as amended by (Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2020) allows a nationalized bank to appropriate any sum from its share premium account by following the same procedure for reduction of paid-up capital referred to in the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.
- (vi) As the proposed utilization of Share Premium account of the Bank for the purpose of setting off accumulated losses would be deemed to be a capital reduction, approval of the shareholders of the Bank by way of a Special Resolution is being sought pursuant to provisions of Section 3(2BBA) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
- (vii) Section 17(2) of The Banking Regulations Act, 1949 provides that where the Bank appropriates any sum or sums from the Share Premium account, it shall within twenty-one days from the date of such appropriation, report the fact to the Reserve Bank, explaining the circumstances relating to such appropriation. The Bank will comply with this requirement within the prescribed time period.
- (viii) The reduction of Share Premium account which involves set off of debit balance in P& L account by reducing the amount standing to the credit of the Share Premium account does not entail discharge of any consideration by the Bank to its shareholders. Accordingly, the Bank's equity capital structure and shareholding pattern post



EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2021

इक्विटी पूंजी संरचना और शेयर प्रीमियम खाते की कमी पश्चात शेयरधारिता प्रतिरूप अपरिवर्तित रहेगा। शेयर के बही मूल्य को भी अपरिवर्तित रखा गया है।

क्र. सं.	श्रेणी	शेयर प्रीमियम खाते की कमी से पूर्व		शेयर प्रीमियम खाते की कमी के बाद	
		धारित शेयरों की सं.	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित शेयरों की सं.	शेयरधारिता का प्रतिशत
क.	प्रवर्तक की धारिता :				
	(भारत सरकार)	9367292970	94.44	9367292970	94.44
ख.	गैर-प्रवर्तक धारिता :				
	जनता	551047652	5.56	551047652	5.56
ग.	कुल	9918340622	100.00	9918340622	100.00

(xi) शेयरधारकों और लेनदारों के अधिकार पूर्वाग्रहीत रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। निदेशक मंडल ने 15.12.2020 को आयोजित अपनी बैठक बैंक और इसके शेयरधारकों के श्रेष्ठ हित के लिए शेयर प्रीमियम खाते के उपयोग के उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है। निदेशक मंडल द्वारा नोटिस में किए गए उल्लेखानुसार संकल्प पारित करने की सिफ़ारिश की जाती है। उपर्युक्त संकल्प में बैंक के किसी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति की कोई रुचि अथवा सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से हस्ता/-

स्थानः कोलकाता दिनांकः 08-04-2021

(ए. के. गोयल)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



reduction of Share Premium account will remain unchanged. The Book Value of the shares will also remain unchanged.

Sl. No.	Category	Prior to the Share Premi		After the Reduction of Share Premium Account	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
Α.	Promoter's Holding: (Government of India)	9367292970	94.44	9367292970	94.44
В.	Non –Promoter Holding : Public	551047652	5.56	551047652	5.56
C.	Total	9918340622	100.00	9918340622	100.00

(ix) The rights of the shareholders and creditors are not prejudicially affected. The Board of Directors at its meeting held on 15.12.2020 have approved the above proposal of utilization of Share Premium account in the best interests of the Bank and its Shareholders. The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice. None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank are interested or concerned in the resolution.

By Order of the Board Directors

sd/-

Place : Kolkata Date : 08-04- 2021 (A. K. Goel)
Managing Director & CEO



वीसी/ओवीएएम सुविधा के माध्यम से असाधारण आम बैठक में भाग लेने तथा रिमोर्ट ई-वोटिंग सहित इलेक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से पहुँच एवं वोटिंग करने के लिए सामान्य निर्देश

1. कोविद-19 के कारण विनियामक निर्देश

ईजीएम की सूचना जारी करने के समय, कोविद-19 महामारी के कारण सामाजिक दूरी के लिए मानदंड हैं तथा लोगों की सभा पर प्रतिबंध है। सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करने के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिपन्न सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपन्न सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपन्न सं. 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, परिपन्न सं. 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020 एवं परिपन्न सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 ("एमसीए परिपन्न") तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपन्न सं. सेबी/एचओ/सीएफ़डी/परिपन्न सं.सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 एवं परिपन्न सं. सेबी/एचओ/सीएफ़डी/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 ("सेबी परिपन्न") द्वारा बैंक की असाधारण आम बैठक के संचालन में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा सेबी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का विधिवत रूप से पालन करने के लिए असाधारण आम बैठक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग(वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओवीएएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

बैठक के लिए प्रस्तावित स्थल युको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता-700 001 होगा।

2. वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल होना

बैंक ने असाधारण आम बैठक के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने तथा ईजीएम के संचालन के लिए उपस्थिति समर्थ करने हेतु मेसर्स केफिन टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट नियुक्त किया है।

सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक वीसी मोड में ईजीएम में शामिल हो सकते हैं।

वीसी/ओवीएएम के माध्यम से असाधारण आम बैठक में भागीदारी की सुविधा पहले आएं पहले पाएं के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रतिबंध में बड़े शेयरधारक (2% या अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक), प्रोमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आएं पहले पाएं के आधार पर प्रतिबंध के बिना असाधारण आम बैठक में भाग लेने की अनुमति दी गई है।

3. उपस्थिति

वीसी/ओवीएएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

4. प्रॉक्सी और प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

सेबी के परिपत्र में निहित विषय-वस्तु के अनुसार तथा वीसी के माध्यम से आयोजित बैठक के मद्देनजर, सदस्यों को मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा इस ईजीएम के लिए समाप्त कर दी गई है।

तथापि, निगमित निकाय वीसी के माध्यम से असाधारण आम बैठक में भाग लेने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और उसके बाद ई-वोटिंग के माध्यम से मत डालने के हकदार हैं। इस संबंध में, संबंधित बोर्ड संकल्प की स्कैन प्रति तथा मत करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित हस्ताक्षर संवीक्षक को ई-मेल से scrutinizer@snaco.net पर भेज दी जाए और इसकी प्रति evoting@kfintech.com और hosgr.calcutta@ucobank.co.in पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात रिववार, 2 मई, 2021 को शाम 5:00 बजे से पहले जमा करा दी जाए।



GENERAL INSTRUCTIONS FOR ACCESSING AND PARTICIPATING IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM) THROUGH VC/OAVM FACILITY AND VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS INCLUDING REMOTE E-VOTING

1. Regulatory Instructions Due to COVID-19

At the time of issue of this Notice of EGM, due to COVID-19 pandemic there are norms for social distancing and restrictions on assembly of persons. To comply with social distancing norms, the Extraordinary General Meeting will be held through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) pursuant to the Circular No. 14/202 0 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India followed by SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 ("SEBI Circular") duly following the guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI in conducting Extraordinary General Meeting of the Bank.

The deemed venue for the meeting shall be UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001.

2. Joining of Meeting through VC

Bank has appointed M/s. KFin Technologies Private Limited, Registrars & Transfer Agents, to provide Video Conferencing facility for EGM and the attendant enablers for conducting of EGM.

The Members can join the EGM in the VC mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice.

The facility of participation at the EGM through VC/OAVM will be made available for at least 1000 members on first come first served basis. This restriction will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the EGM without restriction on account of first come first served basis.

3. Attendance

The attendance of the Members attending the EGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum.

4. Appointment of Proxy and Authorised Representative

In line with SEBI Circular and in view of the meeting conducted through VC, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is dispensed for this EGM.

However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the EGM through VC and participate thereat and cast their votes through e-voting. In this connection, scanned copy of relevant Board Resolution is required to be sent along with attested signature of the Authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the scrutinizer by email to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@kfintech.com and hosgr.calcutta@ucobank.co.in, not less than four days before the date of the meeting on or before 5:00 PM of Sunday, the 2nd May, 2021.



बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 2003 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

5. विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश

- मेसर्स केफिन टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सदस्य को ईजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य https://emeetings.kfintech.com पर जाकर विडियो कॉन्फ्रेंस पर क्लिक कर दूरस्थ ई-वोटिंग पहचान का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्यों पर लॉग-इन कर सकते हैं।
- ईजीएम के लिए लिंक दूरस्थ ई-वोटिंग पहचान का उपयोग करके शेयरधारक/सदस्य लॉग-इन में उपलब्ध होगा। ईजीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉग-इन में उपलब्ध होगा, जहां इवेंट और यूको बैंक को चुना जाता है।
- कृपया ध्यान दें की जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिलिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- सदस्य बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम के साथ लैपटाप के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त बैठक के दौरान किसी भी ग़डबड़ी से बचने के लिए सदस्यों को एक अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करना आवश्यक होगा।
- कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटाप कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण औडियो/विडियो सुनाई या दिखाई नहीं देने का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उक्त खामियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने के लिए सलाह दी जाती है।

6. विडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश

- शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं तथा https://emeetings.kfintech.com पर लॉगिन कर सकते हैं और "पोस्ट योर क्वेश्चन" पर क्लिक कर उसमें उपलब्ध विंडो में नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने सवाल/विचार/प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि केवल सदस्यों के प्रश्नों के ही उत्तर दिए जाएंगे, शेयरधारक, कट ऑफ तारीख से बेनपोस के अनुसार शेयर को जारी रख सकते हैं। प्रश्नों की पोस्टिंग 4 मई, 2021 (सुबह 10.00 बजे) से शुरूहोगी और 5 मई, 2021 (शाम 5.00 बजे) बंद होगी।
- जिन शेयरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हीं वक्ताओं को अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। बैंक द्वारा प्रश्नों का उत्तर उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।
- ईजीएम के दौरान, जो सदस्य पहले से पंजीकृत हैं, उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में बोलने की अनुमित दी जाएगी और फिर ईजीएम के दौरान पंजीकरण करने वालों को बोलने का विकल्प दिया जाएगा।
- ईजीएम के दिन प्रश्न और उत्तर के दौरान वक्ताओं का पंजीकरण ट्रांसिमशन और तकनीकी समन्वय की बाधाओं के कारण समाप्त किया जा सकता है।

7. इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 (यथासंशोधित) के नियम 20 के अनुसार पिठत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पिठत सेबी (सूचीकरण और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (यथासंशोधित) के विनियमन 44 के प्रावधानों तथा एमसीए पिरपत्रों के अनुसरण में बैंक असाधारण आम बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है।



An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation, 2003.

5. Instructions for shareholders for attending EGM through Video Conference

- Member will be provided with a facility to attend EGM through Video conferencing platform provided by M/s. KFin Technologies Private Limited. Members may access the same at https://emeetings.kfintech.com and click on the "Video Conference" and access the shareholders/members login by using the remote e-voting credentials.
- The link for EGM will be available in shareholder/member login by using the remote e-voting credentials.
 The link for EGM will be available in shareholder/members login where the EVENT and UCO Bank can be selected.
- Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-voting or have forgotten the
 User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in
 the notice to avoid last minute rush.
- Members are encouraged to join the Meeting through Laptops with Google Chrome for better experience.
- Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

6. Facility for Speaker registration & Recording of questions prior to EGM:

- Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker and may log into https://emeetings.kfintech.com and click on "post your questions" to post their queries/views/questions in the window provided by mentioning the name, demat account number/folio number, email id, mobile number. Please note that members questions will be answered only, the shareholder continue to hold the shares as per the Benpos as on cut-off date. The posting of questions shall commence on 4th May, 2021 (10.00 AM) and closed on 5th May, 2021 (5.00 PM).
- Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions. The same will be replied by the Bank suitably.
- During the EGM, the members who have already registered will be allowed to speak in the chronological order and then the option will be given for those who registered during the EGM.
- Speaker Registration during Question & Answers on the day of EGM may be dispensed with due to limitations of transmission and technical coordination.

7. Voting through electronic means

Pursuant to the provisions Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) read with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, (as amended), and the MCA Circulars, the Bank is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the Extraordinary General Meeting.



वे सदस्य जो सदस्यों के मत देने के अधिकार का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट तारीख दिनांक 30 अप्रैल, 2021 को शेयर धारण कर रहे हैं, मेसर्स केफिन टेक्नॉलोजिस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए ई- वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से या ईजीएम में मतदान करने के हकदार होंगे। जो व्यक्ति निर्दिष्ट तारीख को सदस्य नहीं हैं वे केवल सूचना के उद्देश्य से इस नोटिस को समझें। यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2003 के अनुसार संयुक्त धारकों के मामले में, जिस सदस्य का नाम कंपनी के सदस्यों के रिजस्टर के अनुसार पहले प्रकट होगा, वह असाधारण आम बैठक में मत देने का हकदार होंगे, बशर्ते कि दरूस्थ ई- मतदान के जिएए मत पहले ही न डालें गए हों।

8. रिमोट ई-मतदान के लिए निर्देश

- i. दूरस्थ ई-मतदान के लिए प्रक्रिया और तरीके का विवरण नीचे दिया गया है। प्रारंभिक पासवर्ड ई-मेल में दिया गया है।
- ii. दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए https://evoting.kfintech.com पर लॉगिन करें।
- iii. बैंक के शेयरधारक अपना मत मूर्त या अमूर्त रूप में निर्दिष्ट तारीख अर्थात 30 अप्रैल, 2021 को शेयर धारित किए हुए हैं वे अपना मत इलेक्ट्रोनिक रूप में दर्ज करा सकते हैं।
- iv. लॉगइन विवरण (यानी ईजीएम की नोटिस में उल्लिखित आईडी एवं पासवर्ड) दर्ज करें। आपका फोलियो नं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी ही आपका यूजर आईडी होगा।
- v. सही तरीके से विवरण भरने के पश्चात लॉगिन पर क्लिक करें।
- vi. अब आप पासवर्ड बदलने वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना पड़ेगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिनमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z) अक्षर, एक संख्या (0-9) और एक विशेष चिह्न होगा। सिस्टम द्वारा पहली बार लॉग इन करने पर पासवर्ड बदलने तथा संपर्क-विवरण, जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आदि को अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। आप गुप्त प्रश्न में जाकर अपनी पसंद का उत्तर दर्ज कर सकते हैं जिससे यदि आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसे पुनः प्राप्त कर सकें। आपको सचेत किया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें एवं उसे गोपनीय रखने हेतू पूरी सावधानी बरतें।
- vii. आपको नए विवरण के साथ फिर से लॉगिन करना होगा।
- viii. सफल लॉग-इन पर, सिस्टम आपको ईवेंट, यूको बैंक का चयन करने के लिए संकेत देगा। मतदान पृष्ठ पर, आपके द्वारा निर्दिष्ट तारीख को धारित शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है) दिखाई देगी। यदि आप सभी मतों को संकल्प के पक्ष/विपक्ष में डालना चाहते हैं तो सभी शेयरों को दर्ज करें और 'पक्ष/विपक्ष', जैसी भी स्थिति हो, या आंशिक रूप से 'पक्ष' और आंशिक रूप से 'विपक्ष' पर क्लिक करें लेकिन 'पक्ष' और/या "विपक्ष" की कुल संख्या निर्दिष्ट तारीख को आपकी कुल शेयरहोल्डिंग से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप 'अनुपस्थित' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं लेकिन धारित शेयरों की गणना किसी भी पक्ष में नहीं की जाएगी।
- ix. एक उपयुक्त विकल्प चुनकर अपना मत डालें और सबमिट पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा।
- x. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की प्रमाणित प्रति की स्कैन की गई छिव (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) को संवीक्षक को ईमेल पर scrutinizer@snaco.net भेजना होगा तथा अपने लॉग-इन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी अपलोड करना होगा। उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई छिव का नामकरण प्रारूप "यूको बैंक इवेंट सं." होगा।
- xi. निर्दिष्ट तारीख अर्थात 30 अप्रैल, 2021 को शेयर धारित करने वाले शेयरधारक संकल्प के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दे सकते हैं।



The members, who are holding shares as on 30th April, 2021, being the cut-off date fixed for determining voting rights of members, entitled to participate in the remote e-voting process, through the e-voting platform provided by KFin Technologies Private Limited or to vote at the meeting. Person who is not a member as on cut-off date should treat this notice for information purpose only.

In terms of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003, in case of joint holders, the Member whose name appears first as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote at the Extraordinary General Meeting provided the votes are not already cast through remote e-voting.

8. Instruction for remote e-voting

- i. The details of the process and manner for remote e-voting are given below. The initial pass word is provided in the body of the e-mail.
- ii. Log-in-to for Remote e-voting at https://evoting.kfintech.com
- iii. Shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 30th April, 2021, may cast their vote electronically.
- iv. Enter the login credentials (i.e., user id and password mentioned in the notice of EGM). Your Folio No./DP ID & Client ID will be your user ID.
- v. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- vi. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (e-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- vii. You need to login again with the new credentials.
- viii. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., UCO Bank. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR' 'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.
- ix. Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed.
- x. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (PDF/JPG format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory (ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at scrutinizer@snaco.net and may also upload the same in the e-voting module in their login. The scanned image of the above documents should be in the naming format 'UCO BANK_EVENT No.'
- xi. Those holding shares as on the Cut-off Date i.e., 30th April, 2021 can cast their vote in favour of or against the resolution.



- xii. पुष्टि के लिए 'OK' पर या संशोधन करने हेतु 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद आपको अपने मत के पुनःसंशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। मतदान अविध के दौरान शेयरधारक कितनी भी बार लॉग इन कर सकते हैं, जब तक कि उन्होंने संकल्प पर मत न दे दिया हो।
- xiii. कई फोलियो/डीमैट खाते वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेगा।
- xiv. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर अपना मत दे देने पर बाद में उसे पूनः संशोधित करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
- xv. पोर्टल 4 मई, 2021 को सुबह 9.00 बजे से लेकर 6 मई, 2021 को शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा।
- xvi. इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप शेयरधारकों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड को 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर फोन कर सकते हैं।

9. ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतू सदस्यों के लिए निर्देश:

ईजीएम के दौरान बैठक के अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में एक घोषणा करने के तुरंत बाद ई-मतदान शुरू होगी तथा दोपहर 12.30 बजे तक जारी रहेगी। ईजीएम कार्यवाही के दौरान वीडियो स्क्रीन के बाएं कोने पर ई-वोटिंग "थंब साइन" अध्यक्ष के निर्देश पर सक्रिय किया जाएगा। शेयरधारक उन्हें "इंस्टापोल" पृष्ठ पर ले जाने के लिए उसी पर क्लिक करेंगे।

सदस्यों को संकल्प पृष्ठ पर पहुंचने के लिए "इंस्टापोल" आइकन पर क्लिक करना है और संकल्प पर मतदान करने के लिए निर्देशों का पालन करना है।

केवल वे शेयरधारक, जो ईजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना मत नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से वंचित नहीं किया गया है, वे ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मत डालने के लिए पात्र होंगे।

10. मतदान का परिणाम

बैंक ने मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमनियम एंड कंपनी, कंपनी सचिव को संवीक्षक के रुप से नियुक्त किया है जो अच्छे और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई-मतदान तथा एजीएम में ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन की देखरेख करेंगे।

संवीक्षक वार्षिक आम बैठक में मतदान के समापन के तुरंत बाद, असाधारण आम बैठक के दौरान पहली बार डाले गए वोटों की गिनती करेगा तथा उसके बाद दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा तथा वार्षिक आम बैठक की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल मतों, यदि कोई हो, पर समेकित संवीक्षक रिपोर्ट अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा जो उसपर अपने प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम को बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर तुरंत प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को परिणामों को अग्रेषित करेगा, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।

11.मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा संबन्धित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से ज्यादा मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा, भले ही उसके पास कितने भी शेयर हों।

उपर्युक्त के अधीन, ई-मतदान की अंतिम तारीख अर्थात 30 अप्रैल, 2021 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक रिमोट ई-मतदान / ई-मतदान के माध्यम से मतदान में अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत पाने का अधिकारी होगा।



- xii. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted.
- xiii. Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios/demat account.
- xiv. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
- xv. The Portal will be open for remote e-voting from: 9 a.m. on 4th May, 2021 to 5 p.m. on 6th May, 2021.
- xvi. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact KFin Technologies Pvt. Ltd. or call KFin Technologies Pvt Ltd on 1800 345 4001 (Toll free)

9. Instructions for members for e-voting during the EGM:

During the EGM, e-voting will commence immediately after an announcement in this regard made by the Chairman of the meeting and continue up to 12.30 p.m. The e-voting "Thumb Sign" on the left hand corner of the video screen shall be activated upon instructions of the chairman during the meeting proceedings. Shareholders shall click on the same to take them to "instapoll" page.

The members to click on the "Instapoll" icon to reach the resolution page and follow the instructions to vote on the resolution.

Only those shareholders, who are present in the EGM and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the EGM.

10. Voting Results

The Bank has appointed M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting and e-voting at the EGM in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the Extraordinary General Meeting, first count the votes cast during the Extraordinary General Meeting, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the Extraordinary General Meeting, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.

The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.ucobank.com immediately. The Bank shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Bank are listed.

11. Voting Rights

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the "e-voting Cut-off Date" i.e. on 30th April 2021 shall have one vote for each share held by him/her in Remote E-voting/voting through poll.



EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2021

विनियमन के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या ज्यादा व्यक्तियों के नाम में हो, तो जहां तक मतदान का संबंध है, रिजस्ट्रार में जिसका नाम पहले लिखा होगा उसे ही एकल धारक मान लिया जाएगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हों तो केवल पहले नामित व्यक्ति ही बैठक में उपस्थित होने का पात्र होगा और वही नामांकन करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने का हकदार होगा।

12.शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पंजीकृत पते या अन्य किसी प्रकार के विवरण में परिवर्तन से संबंधित सूचना, यदि कोई हो, डीमैट शेयरों के मामले में अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से एवं प्रत्यक्ष शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्मतिखन एवं पर हैं:

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड,

यूनिटः यूको बैंक,

कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली,

फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद - 500 032

दूरभाषः (040) 67162222; फैक्सः (040) 23420814

ऑनलाइन पूछताछ/शिकायत के लिए बैंक के शेयरधारक मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.kfintech.com पर लॉग-इन करें और अपनी पूछताछ/शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज कराने के लिए इन्वेस्टर सर्विसेस पृष्ठ पर क्लिक करें।

13.शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष

शेयरधारकों को त्वरित एवं बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं किसी भी प्रकार की सहायता के लिए निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से संपर्क कर सकते हैं:

श्री एन. पूर्ण चंद्र राव, कंपनी सचिव, शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, यूको बैंक, प्रधान कार्यालयः 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस(तीसरा तल), कोलकाता- 700 001 दूरभाषः 033-44557227, फैक्स : 033-22485625



EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2021

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote.

12. Communication with Share Transfer Agents

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of shares held in DEMAT form and in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s KFin Technologies Private Limited,

Unit: UCO BANK,

Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032

Tel: (040) 671612222; Fax: (040)23420814

For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may login on the website of M/s KFintech Technologies Private Limited i.e., www.kfintech.com and click on Investor Services page to register their queries/grievances, if any.

13. Share Section & Investors Grievance Cell

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata, Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance:

Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, Share Section & Investors Grievance Cell, UCO Bank, Head Office: 2, India Exchange Place (3rd Floor), Kolkata - 700 001, Telephone: 033-44557227, Fax: (033) - 22485625